कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(पुराना पुलिस मुख्यालय, बड़ी चौपड़, हवामहल, जयपुर)

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकः एफ ( ) अ.आयुक्त/न.नि.ज (हैरिटेज)/2021/अभियान 208 दिनांक 05.10.2021

निरीक्षण-प्रतिवेदन

आज दिनांक 04.10.2021 को प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 की प्रगति के सम्बन्ध में किशनपोल जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज का अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निरीक्षण किया गया।

1. किशनपोल जोन में कैम्प हेतु लगाये गये काउंटर की स्थिति को देखते हुये आवेदनकर्ताओं को उचित मार्गदर्शन एवं काउंटर की निगरानी हेतु राजस्व अधिकारी अथवा राजस्व निरीक्षक स्तर के अधिकारी को नियुक्त किये जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया साथ ही यह भी निर्देशित किया गया की कोई भी कार्मिक कैम्प स्थल से कैम्प समय में गायब ना रहे पूरे समय कैम्प में उपलब्ध रहेगें। उक्त निगरानीकर्ता अधिकारी कैम्प स्थल पर कार्यरत कार्मिकों की उपस्थित सुनिश्चित करेगें एवं अधिक से अधिक आवेदन लगाकर पट्टे प्राप्त करने हेतु आमजन को प्रेरित करेगें।
2. उक्त जोन की आयोजना शाखा में स्टेट ग्रान्ट एक्ट-1961, 69-ए, कब्जा नियमन, कच्ची बस्ती, नाम हस्तांतरण इत्यादि की पट्टे सम्बन्धित लगभग 80 पत्रावलियां कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक नगर नियोजक के मौका रिपोर्ट हेतु लम्बित पाई गई। इस सम्बन्ध में जोन में वर्तमान में पदस्थापित 04 कनिष्ठ अभियन्ताओं को तत्काल आयोजना शाखा से मौका रिपोर्ट की पत्रावलियां दिलवाकर दो दिवस में निस्तारित करने के निर्देश दिये गयें।
3. एक सप्ताह में समस्त मौका रिपोर्ट की पत्रावलियां मौका रिपोर्ट कर जोन की आयोजना शाखा को सुपुर्द कर निस्तारण की सूचना जोन उपायुक्त को देने के लिए कनिष्ठ अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया।
4. कच्ची बस्ती, स्टेट ग्रान्ट एक्ट व अन्य प्रकार की पुरानी पत्रावलियो मे से पट्टे हेतु लम्बित पत्रावलियों की शीघ्र छंटनी कर नियमानुसार निस्तारित किये जाने हेतु जोन उपायुक्त एवं आयोजना शाखा कार्मिकों को निर्देश दिये गयें।
5. जोन स्तर पर टीमो का गठन किया जाकर वार्ड पार्षदों/जनप्रतिनिधियों के सहयोग से व्यापक प्रचार-प्रसार कर पट्टा हेतु आवेदन अधिकाधिक संख्या में प्राप्त कर उन्हें अभियान में शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही किये जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देश दिये गये।
6. कैम्प में पट्टे वितरण सम्बन्धी सांख्यिकी सूचना प्रतिदिन साय 04:00 बजे तक गूगलशीट में बिना विलम्ब किये आवश्यक रूप से अपलोड कर कैम्प की सांख्यिकी रिपोर्ट मुख्यालय में प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के सहायक नोडल अधिकारी श्री विक्रम सिंह, रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को जोन उपायुक्त भेजना सुनिश्चित करेगें। विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त आयुक्त
नगर निगम, जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक, आयुक्त, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज।
2. उपायुक्त, किशनपोल जोन, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज।
3. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त
नगर निगम जयपुर हैरिटेज